न्यायालय –अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज0)

पीठासीन अधिकारी – सीमा कुमारी (आर.जे.एस)

निर्णय दिनांक – 12 मार्च, 2026

नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या – 1056/2018

सीआईएस नंबर – 1056/2018

सीएनआर नंबर – RJJH070017232018

राजस्थान राज्य बनाम मुकेश

प्र0 सू0 रिपोर्ट सं0 – 406/2018, पुलिस थाना खेतडी
अपराध अन्तर्गत धारा– 5, 9बी विस्फोटक अधिनियम, 1884

भाग–प्रथम

A

परिवादी	विक्रम पुत्र प्रेमसिंह, उम्र 53 वर्ष, निवासी जालमपुर, पीलवा, जिला नागौर (राज.) तत्कालीन पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी, थाना खेतड़ी, जिला झुंझुनूं (राज.)
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी श्री कृष्ण कुमार
अभियुक्त का नाम व पता	मुकेश पुत्र राधेश्याम, उम्र 40 वर्ष, निवासी डूमोली कला, थाना सिंघाना, जिला झुन्झुनूं (राज.)
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री महिपाल दौराता

B

अपराध की दिनांक	24.08.2018
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	24.08.2018
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	12.12.2018
आरोप की दिनांक	05.03.2019
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	07.01.2022
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	12.03.2026

निर्णय दिनांक	12.03.2026

C
अभियुक्त का विवरण

क्र. सं	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अन्तर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा 428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिये अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
01	मुकेश	12.12.2018	12.12.2018	5, 9बी विस्फोटक अधिनियम, 1884	दोषमुक्त	––	––

भाग द्वितीय
अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची
अ–अभियोजन गवाहान

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी0डब्ल्यू 01	ज्ञानसिंह	चश्मदीद व फर्द साक्षी
पी0डब्ल्यू 02	मनीष	चश्मदीद साक्षी
पी0डब्ल्यू 03	राजकुमार	चश्मदीद व फर्द साक्षी
पी0डब्ल्यू 04	राकेश	चश्मदीद साक्षी
पी0डब्ल्यू 05	पृथ्वी	फर्द साक्षी
पी0डब्ल्यू 06	भोमाराम	फर्द साक्षी
पी0डब्ल्यू 07	भीमसिंह	प्रथम अनुसंधान अधिकारी
पी0डब्ल्यू 08	ओमप्रकाश	द्वितीय अनुसंधान अधिकारी
पी0डब्ल्यू 09	विक्रम	कार्यवाहीकर्ता व चश्मदीद साक्षी

ब–बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)

–	–	–

स–न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
––	–निल–	––

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श
अ–अभियोजन प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श नंबर	विवरण–
01	प्रदर्श पी–1	फर्द जप्ती – प्रथम सूचना रिपोर्ट
02	प्रदर्श पी–2	नक्शा मौका घटनास्थल
03	प्रदर्श पी–3ए	मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति
04	प्रदर्श पी–4	चाक प्रथम सूचना रिपोर्ट
05	प्रदर्श पी–5	विस्फोटक सामग्री जमा कराने हेतु आदेश

ब–बचाव प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श नंबर	विवरण
–	–	–निल–

स–न्यायालय प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श नंबर	विवरण
	––	–निल–

द–भौतिक वस्तुएं

क्रम संख्या	भौतिक वस्तु नंबर	विवरण
	––	–निल–

–:: निर्णय :: दिनांक 12.03.2026

01. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि तत्कालीन एस.एच.ओ., थाना खेतड़ी ने बाद गश्त वापसी थाना पर इस आशय की फर्द जप्ती प्रदर्श पी–1 पेश की ''कि दिनांक 24.08.2018 को मन विक्रमसिहं पु.नि. थानाधिकारी मय जाप्ता ज्ञानसिहं एचसी, मनीष कानि. 157, राकेश कानि. 1352 जीप सरकारी चालक राजकुमार कानि. 1071 के समय 4.00 पी.एम. पर थाना से रवाना होकर गश्त इलाका करता हुआ समय 5.00 पी.एम. पर मोड़ी पहुंचा तो मुखबीर खास से इत्तला मिली की मोड़ी पहाड़ी में मुकेश निवासी डूमोली की खान/लीज है, जिसमें अवैध रूप से बिना ब्लास्टर तथा बिना सुरक्षा मापदण्डों की पालना किये अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री अपने कब्जे मे रखकर ब्लास्टिंग की जाती है। आज भी दिन मे ब्लास्टिंग की गई है तथा ब्लास्टिंग के पश्चात् बची हुई विस्फोटक सामग्री अभी भी उसकी लीज के पास बने कमरों के सामने पड़ी हुई है। इस इत्तला से हमराही जाप्ता को अवगत करवाकर मन एस.एच.ओ. मय हमराही जाप्ता रवाना होकर 5.10 पी.एम. पर मुताबिक इत्तला मुकेश की लीज नम्बर 14 पर बने दो कमरों के सामने पहुंचा तो पुलिस वाहन व जाप्ता को देखकर एक व्यक्ति पहाड़ी के ऊपर भाग गया। कमरों के सामने तीन कागज के कार्टून खाकी रंग के पड़े हुए मिले जिन पर NEOGEL-901 EXPLOSIVES, CLASS&2, CATZZ लिखा हुआ है तथा NET WT-25 Kgs लिखा है। जिनको चैक किया गया तो दो डब्बों मे कुल मिलाकर 226 जिलेटिन छड़े (गुल्ला) भरे मिले। जिलेटिन छड़ो पर हिन्दी/अंग्रेजी मे NEOGEL (नीओजेल) – 901-25mm-125gram EMULSION EXPLOVIES]SBL Energy Limited Factory-YENVERA, POST-Raulgaon, Teh Katol, Dist&Nagpur, 441502 लिखा हुआ है। डिब्बे मे 3 सेफ्टी फ्यूज वायर मय 3 डिटोनेटर व 5 डिटोनेटर भी मिले। तीसरे खाकी

डिब्बे में लाल रंग के तार (बत्ती) जिनके गांठे लगी हुई है, भरा मिला। इस प्रकार लीजधारक का बिना किसी वैध लाइसेंस के अपनी लीज पर अवैध विस्फोटक सामग्री, लीज मे पत्थर फोड़ने हेतु (खनन कार्य) रखने व काम मे लेने का उक्त कृत्य जुर्म धारा 5, 9(बी) विस्फोटक अधिनियम, 1884 की तारीफ में आना पाया जाने पर उपरोक्त विस्फोटक सामग्री को जरिये फर्द जप्त किया जाकर कब्जा पुलिस में लिया गया। आदि–आदि।'' जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित थाने में दर्ज कर, बाद अनुसंधान अभियुक्त मुकेश के विरूद्ध धारा 5, 9(बी) विस्फोटक अधिनियम, 1884 में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जिस पर अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

02. अभियुक्त को धारा 5, 9(बी) विस्फोटक अधिनियम, 1884 में आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोपों को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

03. अभियोजन साक्ष्य में पृष्ठ संख्या 2 पर भाग द्वितीय '**अ**' में वर्णित गवाहों के बयान लेखबद्ध करवाये तथा पृष्ठ संख्या 3 पर भाग द्वितीय '**अ**' में वर्णित दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये।

04. बयान मुलजिम लिए गए। अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताया तथा प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश करनी चाही, परंतु बाद में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई।

05. बहस अंतिम उभयपक्षीय सुनी गई। अभियोजन अधिकारी ने बहस अंतिम में कथन किया कि पत्रावली पर पेश साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्त को उचित दंड दिया जावे।

06. अधिवक्ता अभियुक्त ने बहस अंतिम में कथन किया कि घटनास्थल की तस्दीकी के संबंध में कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। नक्शा मौका में दर्शाया गया घटनास्थल लीज 14/04 का भाग हो, इस बाबत् कोई भी स्पष्ट साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। घटनास्थल को जिस लीज संख्या 14/04 का भाग बताया जा रहा है, उक्त लीज शशिकांत के नाम से है और अभियुक्त मुकेश को लीज की पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार

पर अभियुक्त माना गया है, जबकि लीज सं. 14/04 के संबंध में पावर ऑफ अटॉर्नी बाबत् कोई भी दस्तावेज प्रदर्शित नहीं करवाया गया है। प्रकरण में जप्त माल वजह सबूत विशिष्ठ रूप से लीज सं. 14/04 का होने के संबंध में कोई स्पष्ट साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। अतः अभियुक्त को प्रकरण में दोषमुक्त किया जावे।

07. पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के विरुद्ध विचारणीय बिंदू हैं किः–

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 24.08.2018 को समय लगभग 5.00 पी.एम. पर स्थान मोड़ी गौरीर पहाड़ी में स्थिति लीज संख्या 14/04 पर विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा **5** के उल्लंघन में 226 जिलेटिन की छड़ें, 3 सेफ्टी फ्यूज वायर मय 8 डिटोनेटर व तार को अपने कब्जे व संज्ञान में रखकर **धारा 9बी विस्फोटक अधिनियम, 1884** का अपराध कारित किया ?

2. यदि हां तो सजा ?

08. उक्त विचारणीय बिन्दुओं के संबंध में न्यायालय की विवेचना निम्नानुसार हैः–

हस्तगत प्रकरण में परिवादी विक्रम ने फर्द जप्ती **प्रदर्श पी–1** संबंधित थाने में इस आशय की प्रस्तुत की ''कि दिनांक 24.08.2018 को मन विक्रमसिहं पु.नि. थानाधिकारी मय जाप्ता ज्ञानसिहं एचसी, मनीष कानि. 157, राकेश कानि. 1352 जीप सरकारी चालक राजकुमार कानि. 1071 के समय 4.00 पी.एम. पर थाना से रवाना होकर गश्त इलाका करता हुआ समय 5.00 पी.एम. पर मोड़ी पहुंचा तो मुखबीर खास से इत्तला मिली की मोड़ी पहाड़ी में मुकेश निवासी डूमोली की खान/लीज है, जिसमें अवैध रूप से बिना ब्लास्टर तथा बिना सुरक्षा मापदण्डों की पालना किये अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री अपने कब्जे मे रखकर ब्लास्टिंग की जाती है। आज भी दिन मे ब्लास्टिंग की गई है तथा ब्लास्टिंग के पश्चात् बची हुई विस्फोटक सामग्री अभी भी उसकी लीज के पास बने कमरों के सामने पड़ी हुई है। इस इत्तला से हमराही जाप्ता को अवगत करवाकर मन एस.एच.ओ.

मय हमराही जाप्ता रवाना होकर 5.10 पी.एम. पर मुताबिक इत्तला मुकेश की लीज नम्बर 14 पर बने दो कमरों के सामने पहुंचा तो पुलिस वाहन व जाप्ता को देखकर एक व्यक्ति पहाड़ी के ऊपर भाग गया। कमरों के सामने तीन कागज के कार्टून खाकी रंग के पड़े हुए मिले जिन पर NEOGEL-901 EXPLOSIVES, CLASS&2, CATZZ लिखा हुआ है तथा NET WT-25 Kgs लिखा है। जिनको चैक किया गया तो दो डब्बों मे कुल मिलाकर 226 जिलेटिन छड़े (गुल्ला) भरे मिले। जिलेटिन छड़ो पर हिन्दी/अंग्रेजी मे NEOGEL (नीओजेल) – 901-25mm-125gram EMULSION EXPLOVIES]SBL Energy Limited Factory-YENVERA, POST-Raulgaon, Teh Katol, Dist&Nagpur, 441502 लिखा हुआ है। डिब्बे मे 3 सेफ्टी फ्यूज वायर मय 3 डिटोनेटर व 5 डिटोनेटर भी मिले। तीसरे खाकी डिब्बे मे लाल रंग के तार (बत्ती) जिनके गांठे लगी हुई है, भरा मिला। इस प्रकार लीजधारक का बिना किसी वैध लाइसेंस के अपनी लीज पर अवैध विस्फोटक सामग्री, लीज मे पत्थर फोड़ने हेतु (खनन कार्य) रखने व काम मे लेने का उक्त कृत्य जुर्म धारा 5/9 बी विस्फोटक अधिनियम, 1884 की तारीफ में आना पाया जाने पर उपरोक्त विस्फोटक सामग्री को जरिये फर्द जप्त किया जाकर कब्जा पुलिस में लिया गया।''

09. हस्तगत प्रकरण के परिवादी **पीडब्ल्यू 9 विक्रम** ने सशपथ कथन किया कि ''दिनांक 24.08.2018 को मैं ज्ञानसिंह एचसी, मनीष, राकेश, सरकारी जीप चालक राजकुमार के साथ समय 4.00 पीएम पर रवाना होकर गश्त ईलाका करता हुआ समय 5.00 पीएम पर मोड़ी पहुंचा। वहां पर मुखबीर खास ने इत्तला दी कि मोड़ी पहाड़ में मुकेश की खान/लीज है। जिसमें अवैध रूप से बिना बलास्टर व बिना सुरक्षा मानदण्डों को अपनाए अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री अपने कब्जे में रखकर बलास्टिंग की जाती है। आज दिन में भी ब्लास्टिंग की गई थी तथा ब्लास्टिंग के पश्चात् बची हुई विस्फोट सामग्री अभी लीज के पास बने कमरों में पड़ी हुई है। इस इत्तला से हमराही जाब्ते को अवगत कराकर मन एसएचओ मय हमराही जाब्ते के रवाना होकर समय 5.10 पीएम पर इत्तला में बतायेनुसार मुकेश की लीज नम्बर 14 पर पहुंचे। लीज पर बने दो कमरों के सामने पहुंचे तो पुलिस वाहन व जाब्ते को देखकर एक आदमी पहाड़ी की तरफ भाग गया। कमरों के

सामने तीन खाकी रंग के कागज के कार्टून पड़े हुये मिले जिन पर नीयोजेल 901 एक्सप्लोसिव क्लास–2 कैट डबल जेड अग्रेजी में लिखा हुआ था। वजन 25 किलोग्राम लिखा हुआ था। जिनको चेक किया तो दो डब्बों में कुल मिलाकर 226 जिलेटिन छड़ें भरी मिली। डिब्बे में तीन सेफ्टी फ्यूज मय वायर मय तीन डिटोनेटर व पांच डिटोनेटर भी मिले। तीसरे खाकी रंग के डिब्बे में लाल रंग तार बत्ती जिनके गांठे लगी हुई थी भरे हुये मिले। इस प्रकार लीज धारक का बिना किसी वैध लाईसेन्स के अपनी लीज पर अवैध विस्फोटक सामग्री लीज में पत्थर फोड़ने/खनन कार्य करने हेतु काम में लेने का उक्त कृत्य विस्फोटक अधिनियम में आना पाये जाने पर विस्फोटक सामग्री को मौके पर ही जब्त किया गया। मौके पर स्वतंत्र गवाह नहीं होने के कारण हमराही जाब्ते से पुलिस के गवाह बनाये गये। फर्द जब्ती अवैध विस्फोटक सामग्री प्रदर्श पी–1 है, जिस पर जी से एच मेरे साईन है, जिसकी पुश्त पर ई से एफ वापसी थाना एवं कायमी मुकदमा का नोट अंकित है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी–4 है, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। तफ्तीश भीमसिंह एचसी के जिम्मे की गई थी। उक्त प्रकरण में अवैध विस्फोटक सामग्री के निस्तारण हेतु मैंने माननीय एसीजेएम, खेतड़ी में प्रार्थना–पत्र प्रदर्श पी–5 दिया था, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। भीमसिंह एचसी के द्वारा किए गए अनुसंधान के पश्चात् मैंने मुलजिम मुकेश कुमार के विरुद्ध जुर्म धारा 5,9 बी विस्फोट अधिनियम, 1884 का अपराध प्रमाणित मानकर आरोप पत्र पेश न्यायालय किया।''

गवाह ने **जिरह** में कथन किया कि **''यह सही है कि विस्फोटक सामग्री कमरों के सामने ओपन प्लेस पर पड़ी थी।** मेरी जानकारी में नहीं है कि मौके पर कमरों की या विस्फोटक सामग्री की फोटो या वीडियोग्राफी की हो या नहीं की हो। **यह सही है कि लीज नं. 14 मुकेश के नाम से आवंटित नहीं है, लेकिन मुख्तारखास लीज मुकेश ने अपने नाम से बना रखा था।** यह सही है कि दिनांक 24.08.2018 का लीज नं. 14 मुख्तारखास मुकेश हो, इसकी मुझे जानकारी नहीं **थी, लेकिन मुखबीर खास ने लीज नं. 14 का संचालन मुकेश द्वारा करना बताया था।''**

10. हस्तगत प्रकरण में पीडब्ल्यू 1 ज्ञानसिंह, पीडब्ल्यू 2 मनीष, पीडब्ल्यू 3 राजकुमार व पीडब्ल्यू 4 राकेश जाप्ता सदस्य होकर घटना के चश्मदीद साक्षी है।

पी0डब्ल्यू 1 ज्ञानसिंह ने मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया कि ''दिनांक 24.08.2018 को गश्त करते हुए 5.00 पी.एम. पर मोड़ी पहुँचे तो थानाधिकारी को जरिये मुखबीर इत्तिला मिली की मोड़ी पहाड़ी में मुकेश शर्मा की लीज नंबर 14 पर अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री बिना सुरक्षा मापदण्डों की पालना किये ब्लास्टिंग की जाती है। आज दिन में भी ब्लास्टिंग की गई है तथा ब्लास्टिंग के बाद बची हुई विस्फोटक सामग्री लीज पर बने हुए दो कमरों के सामने पड़ी हुई है। उक्त इत्तिला से समय 05.10 पी.एम. पर हम मुकेश की लीज पर पहुँचे तो पुलिस व जाब्ता को बावर्दी देखकर एक व्यक्ति पहाड़ी की तरफ भाग गया। लीज पर बने दो कमरों के सामने तीन कागज के खाकी कार्टुन पड़े दिखाई दिये, जिनको थानाधिकारी ने कब्जे में लेकर चेक किया तो दो खाकी कार्टुनों में 226 जीलेटिन छड़ें, 03 सेफ्टी फ्यूज वायर, 08 डिटोनेटर, तीसरे कार्टुन में लाल तार जिनके गांठें लगी हुई थीं, भरी मिली, जिनको कब्जे में लिया। कार्टूनों पर नीयोजेल 901 एक्सप्लूजिव, वजन 25 किग्रा लिखा हुआ था। फर्द जब्ती प्रदर्श पी–01 हमारे सामने मौके पर बनाई थी, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं। अनुसंधान अधिकारी ने घटनास्थल का नक्शा मौका मय हालात मौका मेरे सामने तैयार किया, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है।''

गवाह ने **जिरह** में कथन किया कि ''वहां आसपास 3–4 लीज थीं, जो लीज नं. 14 के सटकर है तथा एक ही पहाड़ पर है। **यह सही है कि मेरे सामने अनुसंधान अधिकारी ने लीज नं. 14 के संबंध में कागजात नहीं लिए कि लीज किसके नाम से है तथा कौन इसे चला रहा है।** मेरे सामने अनुसंधान अधिकारी ने वहां मौजूद क्रेशर मालिकों को बुलाकर पूछताछ नहीं की कि लीज नं. 14 किसकी है। **यह सही है कि जप्तशुदा सामग्री दो कमरों के सामने खुले स्थान पर पड़ी थी।** उक्त जप्तशुदा सामान पर कोई विशेष व्यक्ति का नाम, लीज का नाम या विशेष मार्का नहीं था। यह सही है कि उक्त जप्तशुदा सामान किसी के कब्जे से बरामद नहीं की थी, बल्कि खुली जगह से बरामद की थी।''

11. पीडब्ल्यू 2 मनीष ने मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया कि ''दिनांक 24.08.2018 को गश्त करते हुए 05.00 पी.एम. पर मोड़ी पहुँचे तो थानाधिकारी को जरिये मुखबीर ईत्तिला मिली की मोड़ी पहाड़ी में मुकेश निवासी डूमोली की लीज नंबर 14 पर अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री बिना सुरक्षा माप दण्डों की पालना किये ब्लास्टिंग की जाती है। आज दिन में भी ब्लास्टिंग की गई है तथा ब्लास्टिंग के बाद बची हुई विस्फोटक सामग्री लीज पर बने हुए दो कमरों के सामने पड़ी हुई है। उक्त इत्तिला से समय 05.10 पी.एम. पर हम मुकेश की लीज पर पहुँचे तो पुलिस व जाब्ता को बावर्दी देखकर एक व्यक्ति पहाड़ी की तरफ भाग गया। लीज पर बने दो कमरों के सामने तीन कागज क खाकी कार्टून पड़े दिखाई दिये जिनको थानाधिकारी ने कब्जे में लेकर चेक किया तो दो खाकी कार्टूनों में 226 जीलेटिन छड़ें, 03 सेफ्टी फ्यूज वायर, 08 डिटोनेटर, तीसरे कार्टुन में लाल तार (बत्ती) जिनके गांठें लगी हुई थी, भरी मिली, जिनको कब्जे में लिया। कार्टूनों पर नीयोजेल 901 एक्सप्लूजिव क्लास–2, CATZZ NET WT- 25 KGS लिखा हुआ था। फर्द जब्ती प्रदर्श पी 01 हमारे सामने मौके पर बनाई थी।''

गवाह ने **जिरह** में कथन किया कि ''वहां आसपास 3–4 लीज थीं, जो लीज नं. 14 के सटकर है तथा एक ही पहाड़ पर है। यह सही है कि मेरे सामने अनुसंधान अधिकारी ने लीज नं. 14 के संबंध में कागजात नहीं लिए कि लीज किसके नाम से है तथा कौन इसे चला रहा है। **यह सही है कि जप्तशुदा सामग्री दो कमरों के सामने खुले स्थान पर पड़ी थी।''**

12. पीडब्ल्यू 3 राजकुमार ने मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया कि ''दिनांक 24.08.2018 को 05.00 पी.एम. पर मोडी पहुंचे तो एस.एच.ओ. साहब को ईत्तला मिली कि मोडी पहाड़ में लीज नंबर 14 जो मुकेश कुमार की है, जिसमें अवैद्य रूप से बिना सुरक्षा मापदण्डों के विस्फोटक सामग्री अपने कब्जे में रखकर ब्लास्टिंग की जाती है तथा आज भी ब्लास्टिंग की गई है। इस इत्तला से 05.10 पी.एम. पर मुकेश की लीज नंबर 14 पर वहां बने दो कमरों के सामने पहुंचे तो पुलिस को देखकर एक व्यक्ति पहाड़ियों की तरफ भाग गया। कमरों के सामने तीन खाकी कार्टून रखे हुए थे, जिनको चेक किया तो दो

कार्टून में तीन सेफ्टी फ्यूज मय तीन डेटोनेटर व पांच डेटोनेटर मिले। उन दो कार्टून में जिलेटिन छड़े (गुल्ला) मिले तथा तीसरे कार्टून में लाल रंग के तार जिनके गांठे लगी हुई थी, मिले। इस प्रकार लीजधारक का बिना किसी वैद्य लाईसेंस के अपनी लीज पर अवैद्य विस्फोटक सामग्री रखना पाया गया। मौके पर फर्द जब्ती प्रदर्श पी 01 तैयार की, जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर हैं।''

गवाह ने **जिरह** में कथन किया कि **''हम 14 नंबर लीज पर नहीं गए। हम गोदाम में गए थे,** इसलिए मैं नहीं बता सकता कि वहां कोई कोपलीन या जे.सी.बी. चल रहे हो। वहां कितनी लीज है, मुझे नहीं पता। उक्त कमरों के लोहे के गेट लगे हुए थे, जो बंद थे। उक्त कमरे लीज नं. 13 पर बने हो, मुझे पता नहीं। **जो विस्फोटक सामग्री थी वो कमरों के सामने खुले स्थान पर पड़ी हुई थी।** मेरे सामने थानाधिकारी ने विस्फोटक सामग्री जहां से जप्त की, उक्त जगह के मालिकाना हक के बारे में किसी से पूछताछ नहीं की।''

13. पीडब्ल्यू 4 राकेश ने मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन कि ''दिनांक 24.08.2018 को 05.00 पी.एम. पर मोडी पहुंचे तो एस.एच.ओ. साहब को ईत्तला मिली कि मोडी पहाड़ में लीज नंबर 14 जो मुकेश कुमार की है, जिसमें अवैद्य रूप से बिना सुरक्षा मापदण्डों के विस्फोटक सामग्री अपने कब्जे में रखकर ब्लास्टिंग की जाती है तथा आज भी ब्लास्टिंग की गई है। इस इत्तला से थानाधिकारी ने हमें अवगत करवाया तथा रवाना होकर 05.10 पीएम पर मुकेश की लीज नंबर 14 पर वहां बने दो कमरों के सामने पहुंचे तो पुलिस को देखकर एक व्यक्ति पहाड़ियों की तरफ भाग गया। कमरों के सामने तीन खाकी कार्टून रखे हुए थे, जिनको चेक किया तो दो कार्टून में तीन सेफ्टी फ्यूज मय तीन डेटोनेटर व पांच डेटोनेटर मिले। उन दो कार्टून में जिलेटिन की 226 छड़े (गुल्ला) मिले तथा तीसरे कार्टून में लाल रंग के तार जिनके गांठे लगी हुई थी, मिले। गत्ते के कार्टून पर नियोजेल 901, एक्सप्लोजिव क्लास 02, बंज्र लिखा हुआ था। मौके पर फर्द जब्ती तैयार की।''

गवाह ने **जिरह** में कथन किया कि **''जप्ती अधिकारी** ने भी हमें नहीं बताया कि 14 नंबर लीज से सटकर कौनसी लीज है और **मौके पर** किसी लीज की नपती नहीं की, ना

ही किसी सरपंच, पटवारी या गांव के लोगों से लीज नं. 11, 12, 13, 14 व 21 के बारे में पूछताछ की कि कौनसी लीज कहां स्थित है। **14 नंबर लीज के दस्तावेज नहीं देखे थे।"**

14. **पी0डब्ल्यू 5 पृथ्वी** नक्शा मौका घटनास्थल के संबंध में परीक्षित गवाह है, जिसने सशपथ कथन किया कि ''दिनांक 26.08.2018 को भीमसिंह एच.सी. ने मेरे व महेश सिपाही के समक्ष घटनास्थल का नक्शा मौका हालात मौका प्रदर्श पी–02 बनाया था, जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर हैं।''

पी0डब्ल्यू 6 भोमाराम प्रकरण में जप्त माल वजह सबूत को जमा मालखाना करने के संबंध में परीक्षित गवाह है, जिसने सशपथ कथन किया कि ''दिनांक 24.08.2018 को मुकदमा नंबर 406/2018, थाना खेतड़ी में जब्तशुदा विस्फोटक सामग्री तीन खाकी कार्टूनों में जमा करवाई थी। दो डिब्बों में कुल 226 जिलेटीन छड़ें थी और तीसरे डिब्बे में तीन सेफ्टी फ्यूज, वायर और तीन डेटोनेटर भूरे रंग के और पांच डेटोनेटर लाल रंग के मालखाना में जमा करवाए थे। असल मालखाना रजिस्टर क्रम संख्या 195 पर इन्द्राज है। असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी–03 है। मालखाना रजिस्टर से मिलान की गई फोटो प्रति प्रदर्श पी–03ए है।'' गवाह ने **जिरह** में कथन किया कि **"मालखाना रजिस्टर में माल जमा करवाने का समय अंकित नहीं है,** क्योंकि समय अंकित नहीं किया जाता। **माल कार्टून में खुला ही था।"**

15. **पीडब्ल्यू 7 भीमसिंह** प्रकरण का प्रथम अनुसंधान अधिकारी है, जिसने सशपथ कथन किया कि '' दिनांक 24.08.2018 को मु.नं. 406/2018, थाना खेतड़ी अनुसंधान मेरे सुपुर्द किया। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–01 है, जिसकी पुश्त पर ई से एफ कार्यवाही पुलिस अंकित है, जी से एच थानाधिकारी विक्रम के हस्ताक्षर है। मैंने गवाह विक्रम, ज्ञानसिंह, राकेश, मनीष, राजकुमार के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किए। मैंने घटनास्थल का नक्शा मौका मय हालात मौका प्रदर्श पी–02 बनाए, जिस पर ई से एफ मेरे हस्ताक्षर हैं।''

गवाह ने **जिरह** में कथन किया कि ''दिनांक 24.08.2018 को मुझे तफ्तीश मिली। घटनास्थल पर हम दिनांक 26.08.2018 को गए थे। **लीज होल्डर शशिकांत के बयान मेरे द्वारा नहीं लिए गए। मौके के आसपास 8–10 लीज थी। मेरे द्वारा इन लीजधारकों के कोई बयान लेखबद्ध नहीं किए गए। कमरा किस लीज में था, किसका था, इस बाबत् कोई दस्तावेज मैंने पटवारी वगैरह से मेरा स्थानांतरण होने से नहीं लिए।** ये मकान लीज क्षेत्र में ही है। लीज नंबर 14 के आसपास की लीजों में कुछ चालू तथा कुछ बंद थी। **कमरे का गेट खुला था।** उसमें गेट लगा रखा था। **कमरे में कुछ नहीं था।''**

16. **पीडब्ल्यू 8 ओमप्रकाश** प्रकरण का द्वितीय अनुसंधान अधिकारी है, जिसने सशपथ कथन किया कि ''मैंने गवाह शशिकांत के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किए। मुलजिम मुकेश के जमानत मुचलके तस्दीक किये गए। पूर्व में किए अनुसंधान व मेरे द्वारा किए गए अनुसंधान से मैंने मुलजिम मुकेश के विरुद्ध 5/9 बी विस्फोटक अधिनियम का अपराध प्रमाणित मानकर आरोप पत्र पेश न्यायालय किया।''

गवाह ने **जिरह** में कथन किया कि **''यह सही है कि यह लीज शशिकांत के नाम से है। यह सही है कि मैंने शशिकांत से मुख्तारनामा जप्त नहीं किया था। अजखुद कहा कि पूर्व के अनुसंधान अधिकारी द्वारा जप्त किया हुआ है।''**

17. हस्तगत प्रकरण में नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी–2 में दर्शाए गए जप्ती स्थल **एक्स मार्का** के संबंध में प्रकरण के परिवादी पीडब्ल्यू 9 विक्रम ने जिरह में स्वीकार किया कि विस्फोटक सामग्री कमरों के सामने खुले स्थान पर पड़ी थी। उक्त जप्ती स्थल लीज संख्या 14/04 में स्थित था, इस बाबत् कोई स्पष्ट साक्ष्य प्रकरण के परिवादी अथवा अनुसंधान अधिकारियों द्वारा शामिल पत्रावली नहीं की गई है।

यह महत्वपूर्ण है कि हस्तगत प्रकरण में जप्ती स्थल जिसे लीज संख्या 14/04 का हिस्सा बताया जा रहा है। उक्त लीज सं. 14/04 के संबंध में संबंधित खनिज अभियंता, झुंझुनूं द्वारा दिनांक 12.09.2018 को संबंधित थानाधिकारी को जरिये तहरीर

सूचित किया गया था कि लीज संख्या 14/04 वर्तमान में शशिकांत पुत्र राधेश्याम के नाम से स्वीकृत है। उक्त सूचना को **अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रदर्शित नहीं करवाया गया।**

जप्ती स्थल लीज संख्या 14/04 का स्थान था। उक्त लीज संख्या 14/04 शशिकांत के नाम से स्वीकृत थी। शशिकांत पुत्र राधेश्याम के **सगे भाई** मुकेश पुत्र राधेश्याम के पास उक्त लीज का **मुख्तारनामा** होना परिवादी पीडब्ल्यू 9 विक्रम सिंह ने जिरह में बताया है। पीडब्ल्यू 9 विक्रम ने जिरह में कथन किया कि ''लीज नंबर 14 मुकेश कुमार के नाम से आवंटित नहीं है, लेकिन मुख्तारनामा मुकेश के नाम से बना था।''

प्रकरण के **परिवादी** व **अनुसंधान अधिकारियों** ने उक्त लीज संख्या 14/04 के **मुख्तारनामा के आधार पर** प्रकरण में मुकेश पुत्र राधेश्याम को अभियुक्त माना है, परंतु किसी ने भी उक्त मुख्तारनामा की मूल अथवा प्रमाणित प्रति शामिल पत्रावली नहीं की है। यहां तक कि प्रकरण में साक्ष्य अभियोजन के समय **अभियोजन अधिकारी** द्वारा भी पत्रावली पर मौजूद मुख्तारनामा की प्रति को भी प्रदर्शित करवाए जाने के संबंध में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। **अनुसंधान व अभियोजन के स्तर पर यह एक गंभीर त्रुटि है, जिसके कारण प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलित व प्रदर्शित होने से रह गई है।**

18. प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी **पीडब्ल्यू 8 ओमप्रकाश** ने जिरह में कथन किया कि लीज संख्या 14/04 का मुख्तारनामा पूर्व के अनुसंधान अधिकारी ने जप्त किया हुआ है। जबकि पूर्व के अनुसंधान अधिकारी पीडब्ल्यू 7 भीमसिंह ने प्रकरण में लीज संख्या 14/04 का मुख्तारनामा जप्त करने के संबंध में कोई भी कथन मुख्य परीक्षा में नहीं किया है। मुख्तारनामा की प्रति जो पत्रावली पर है, प्रदर्शित नहीं है और मूल मुख्तारनामा पत्रावली पर नहीं होने के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

न्यायालय का मत है कि हस्तगत प्रकरण में जप्ती स्थल के संबंध में महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलित करने के संबंध में **अनुसंधान में घोर लापरवाही की गई।** साथ ही साक्ष्य अभियोजन के स्तर पर अभियोजन अधिकारी द्वारा महत्वपूर्ण दस्तावेजों यथा लीज होल्डर शशिकांत के बयान, मुख्तयारनामा प्रति, संबंधित खनिज अभियंता द्वारा लीज अलॉटमेण्ट बाबत् दी गई लिखित सूचना इत्यादि को साक्ष्य में प्रदर्शित नहीं करवाया गया है।

अतः न्यायालय संबंधित अभियोजन अधिकारी व तत्कालीन अनुसंधान अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु संबंधित विभाग को लिखा जाना न्यायोचित पाता है। संबंधित विभाग को उक्तानुसार तहरीर जारी होवे।

19. अतः ऊपर की गयी समस्त विवेचना व पत्रावली पर पेश समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के मद्देनजर न्यायालय का मत है कि अभियुक्त मुकेश के विरुद्ध आरोपित अपराध धारा 5, 9(बी) विस्फोटक अधिनियम, 1884 के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य नहीं होने के कारण अभियुक्त को आरोपित अपराधों में साक्ष्य अभाव में दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित है।

// आदेश //

20. अभियुक्त **मुकेश पुत्र राधेश्याम,** उम्र 42 वर्ष, निवासी डूमोली कला, थाना सिंघाना, जिला झुन्झुनूं (राज.) को आरोपित अपराध **धारा 5, 9(बी) विस्फोटक अधिनियम, 1884** में साक्ष्य अभाव में **दोषमुक्त** किया जाता है। अभियुक्त की नियमित उपस्थिति बाबत् पूर्व पेश जमानत मुचलके तुरंत प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं।

(**सीमा कुमारी**)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
खेतड़ी जिला झुन्झुनूं

21. निर्णय आज दिनांक **12/03/2026** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(**सीमा कुमारी**)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
खेतड़ी जिला झुन्झुनूं